



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092026-276033
CG-DL-E-07092026-276033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4700]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 4700]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4887(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 11 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 11 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं. का.आ.1248 (अ) में, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, “धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अधीन सदस्य” से संबंधित पैरा (2) में, सारणी में, क्रम संख्या (ii) के सामने, स्तम्भ (2) में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

सदस्य
(2)
"श्री ए. मुथुकुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय"

[फा. सं. जेड-28016/03/2023-एएचएस]

डॉ. विनोद कोतवाल, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1248 (अ), तारीख 11 मार्च, 2024 के अधीन प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 1066 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2026 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2026

S.O. 4887(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 read with section 4 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1248 (E), dated the 11th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 11th March, 2024, namely:-

In the said notification, in paragraph (2) relating to "Members under clause (c) of sub-section (3) of section 3", in the Table, against serial number (ii), for the entries in column (2), the following shall be substituted, namely:-

Member
(2)
"Shri A. Muthukumar, Joint Secretary in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare".

[F. No. Z-28016/03/2023-AHS]

Dr. VINOD KOTWAL, Addl Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1248 (E), dated the 11th March, 2024 and last amended *vide* notification number 1066 (E), dated 28th February, 2026.